राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ पुनरीक्षा याचिका (रिट) संख्या 89/2022

में

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 12854/2017

1. राजस्थान सरकार सड़क परिवहन निगम, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, प्रधान कार्यालय परिवहन मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर के माध्यम से।
2. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान सरकार सड़क परिवहन निगम, प्रधान कार्यालय, परिवहन मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
3. मुख्य प्रबंधक, जयपुर डिपो, राजस्थान सरकार पथ परिवहन निगम, जिला जयपुर।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

धन्ना लाल जाट पुत्र श्री हरि नारायण, उम्र लगभग 61 वर्ष, ग्राम चौकी चोसला, तहसील मालपुरा, जिला टोंक (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	**श्री राजपाल धनखड़**
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	**श्री कैलाश चौधरी**

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

आदेश सुरक्षित करने की तिथि	:	05/04/2023
आदेश उच्चारित करने की तिथि	:	27/04/2023

रिपोर्टेबल

निर्णय

(1) यह पुनरीक्षा याचिका राजस्थान सरकार सड़क परिवहन निगम (संक्षेप में 'आरएसआरटीसी') द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.12.2021 पुनरीक्षा की मांग की गई है, जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका (इसके बाद 'के रूप में संदर्भित) प्रत्यर्थी') को अनुमति दे दी गई है और

आरएसआरटीसी को प्रत्यर्थी को जीपीएफ योजना और जीपीएफ पेंशन का लाभ उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से देने का निर्देश दिया गया है।

(2) पुनरीक्षा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि प्रत्यर्थी सीपीएफ योजना का सदस्य था और उसके वेतन से सीपीएफ योजना के तहत राशि काटी गई थी। प्रत्यर्थी ने अपने सीपीएफ खाते से ऋण लिया और उसे 6.6.2017 को उनकी सेवानिवृत्ति के समय 8,31,722/- रुपये की सीपीएफ राशि प्राप्त हुई। लेकिन रिट याचिका की सुनवाई के समय इन तथ्यों को इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया। अत: आदेश दिनांक 1.12.2021 को वापस लिया जाए। अपने तर्कों के समर्थन में अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया:-

(i) राजस्थान सरकार और अन्य बनाम सुरेंद्र मोहनोत और अन्य (2014) 14 एससीसी 77

(ii) पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, पटियाला बनाम अमनदीप सिंह और अन्य (2017) 2 एससीसी 766

(3) इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता जीपीएफ योजना का सदस्य था और याचिकाकर्ता के वेतन से हमेशा जीपीएफ खाते के लिए राशि काटी जाती थी। उन्होंने आगे कहा कि इन दस्तावेजों को आरएसआरटीसी ने अपने उत्तर में अस्वीकार नहीं किया था। अधिवक्ता का कहना है कि रु. 8,31,722/- प्रत्यर्थी की सेवानिवृत्ति के समय सीधे उसके बचत बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए गए थे और प्रत्यर्थी को कभी सूचित नहीं किया गया था कि यह राशि अंशदायी भविष्य निधि से संबंधित है। अधिवक्ता का कहना है कि प्रत्यर्थी उपरोक्त राशि आरएसआरटीसी को लौटाने के लिए तैयार है। अधिवक्ता का कहना है कि इस मामले के रिकॉर्ड में कोई भी त्रुटि स्पष्ट नहीं है, इसलिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(4) प्रतिद्वंद्वी पक्षों की दलीलों को सुना और उन पर विचार किया।

(5) इस न्यायालय ने पाया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 1.12.2021 के आदेश के तहत दायर रिट याचिका को निम्नलिखित अवलोकन और निर्देशों के साथ अनुमति दी: -

> “बहस के दौरान याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थीगण दोनों के अधिवक्ता ने विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.01.1990 और संशोधित

अधिसूचना दिनांक 15.06.1996 पर भरोसा किया। दिनांक 02.01.1990 की अधिसूचना के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्मचारियों को सीपीएफ या जीपीएफ योजना में शामिल किए जाने के संबंध में 90 दिनों की अवधि के भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि कर्मचारी द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा, तो उसे पेंशन नियम, 1989 द्वारा शासित माना जाएगा।

यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि उक्त अधिसूचना के खंड -11 में विशेष रूप से निर्धारित किया गया है कि पेंशन और जीपीएफ योजना केवल नियमित कर्मचारियों पर लागू होगी और दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मचारियों और अस्थायी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी और इसलिए वे अधिसूचना के संदर्भ में कोई भी विकल्प प्रस्तुत करने के पात्र नहीं थे।

उक्त अधिसूचना के मद्देनजर, रिकॉर्ड पर यह स्पष्ट है कि प्रासंगिक समय पर याचिकाकर्ता कोई भी विकल्प प्रस्तुत करने का पात्र नहीं था और इसलिए, उसने विकल्प नहीं दिया। चूंकि, याचिकाकर्ता की सेवाएं 23.03.1999 को ही नियमित कर दी गई हैं, इसलिए वह अधिसूचना दिनांक 02.01.1990 के संदर्भ में प्रासंगिक समय पर विकल्प नहीं दे सका। इसलिए, प्रत्यर्थीगण का यह तर्क कि याचिकाकर्ता ने प्रासंगिक समय पर अपना विकल्प नहीं दिया इसका कोई औचित्य नहीं है।

संशोधित अधिसूचना दिनांक 15.06.1996 का खंड-4 इस प्रकार है:

> दिनांक 1.4.89 के पश्चात् नियमित वेतन श्रृंखला में नियुक्त कर्मचारियों के विकल्प प्रस्तुत करने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन पर स्वतः ही पेंशन योजना लागू हैं।

संशोधित अधिसूचना के अवलोकन से पता चलता है कि विकल्प देने की अंतिम तिथि 15.08.1996 निर्धारित की गई थी जो याचिकाकर्ता की सेवाओं के नियमितीकरण की तिथि से भी एक दिन पहले की तिथि है। इसलिए भी, याचिकाकर्ता उस विशेष समय पर अपना विकल्प नहीं दे सका। यदि यह मान भी लिया जाए कि चूंकि याचिकाकर्ता के वेतन का निर्धारण 08.05.1985 से किया गया था, तब भी अधिसूचना दिनांक 15.06.1996 के उपर्युक्त खंड-4 के मद्देनजर दोनों अधिसूचनाएँ उस पर लागू होंगी। याचिकाकर्ता को कोई विकल्प देने की आवश्यकता नहीं थी।

इसके अलावा, भले ही प्रत्यर्थीगण के तर्क को स्वीकार कर लिया जाए कि याचिकाकर्ता को तब भी अपना विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक था, रिकॉर्ड पर यह स्पष्ट है कि सूचना की पहली तारीख अर्थात 09.12.2010 को, याचिकाकर्ता ने इसमें और भविष्य में भी जीपीएफ योजना शामिल होने का अपना विकल्प प्रस्तुत किया था।

किसी भी कोण से देखने पर, प्रत्यर्थीगण का यह आधार कि याचिकाकर्ता को अपना विकल्प देना आवश्यक था, जिसे वह करने में विफल रहा, इसलिए वह जीपीएफ पेंशन योजना का पात्र नहीं होगा, इसे तर्कसंगत

नहीं ठहराया जा सकता है।

जीपीएफ राशि की कटौती के संबंध में अपनी दलीलों के समर्थन में, याचिकाकर्ता ने अपना अंतिम वेतन प्रमाणपत्र और जनवरी 2011 महीने का वेतन प्रमाणपत्र रिकॉर्ड में रखा है।

इन दोनों दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के वेतन से जीपीएफ की राशि काट ली गई थी और यहां तक कि रोजगार के दौरान उसे जीपीएफ जमा राशि का ऋण भी स्वीकृत कर दिया गया था। उक्त दस्तावेजों को न तो अस्वीकार किया गया है और न ही प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने उत्तर में इसे अस्वीकार करने का कोई अनुरोध किया गया है। इसलिए भी, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ता सेवाओं की शुरुआत से ही जीपीएफ योजना का सदस्य था और उसकी सेवानिवृत्ति के बाद वर्ष 2017 में मनमाने ढंग से सीपीएफ योजना में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने समान स्थिति वाले एक कर्मचारी से संबंधित एक कार्यालय आदेश भी रिकॉर्ड में रखा है, जिसे सीपीएफ खाते के स्थान पर जीपीएफ खाता आवंटित करने का निर्देश दिया गया है। प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त दस्तावेज़ का कोई खंडन भी नहीं किया गया है और इन परिस्थितियों में यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति याचिकाकर्ता के समान स्थिति वाला था, इसलिए भी, यदि समान स्थिति वाले व्यक्ति को जीपीएफ पेंशन योजना का लाभ दिया गया है याचिकाकर्ता को इसका अनुदान देने से इनकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता की रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता को जीपीएफ योजना का लाभ देने और याचिकाकर्ता को उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से जीपीएफ पेंशन देने का निर्देश दिया जाता है।"

(6) एक बार जब प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अनुमति दे दी गई है, तो अब पुनरीक्षा याचिका का उपयोग न्यायालय की राय या दृष्टिकोण को बदलने के लिए एक साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षा याचिका पर तभी विचार किया जा सकता है जब रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट हो। इस न्यायालय के लिए यह खुला नहीं है कि वह उन्हीं तथ्यों की दोबारा पुनरीक्षा करे और किसी अलग निष्कर्ष पर पहुंचे। तथ्यों की सराहना करने और प्रतिद्वंद्वी पक्षों को सुनने के बाद एक बार जो निष्कर्ष निकलता है, उस पर पुनरीक्षा याचिका में तब तक हमला नहीं किया जा सकता जब तक कि यह न दिखाया जाए कि रिकॉर्ड में कोई स्पष्ट त्रुटि है। वर्तमान मामले में पुनरीक्षा याचिकाकर्ता रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से कोई त्रुटि इंगित करने में सक्षम नहीं है, लेकिन इसके विपरीत तत्काल पुनरीक्षा याचिका की आड़ में, याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दे रहा है।

(7) किसी पुनरीक्षा का दावा या अनुरोध केवल नई सुनवाई या तर्क या पहले लिए गए

गलत दृष्टिकोण के सुधार के लिए नहीं किया जा सकता है, अर्थात, पुनरीक्षा की शक्ति का प्रयोग केवल कानून या तथ्य की पेटेंट त्रुटि के सुधार के लिए किया जा सकता है जो इसे स्थापित करने के लिए किसी विस्तृत तर्क की आवश्यकता के बिना हो।

(8) श्रीमती मीरा भांजा बनाम श्रीमती निर्मला कुमारी चौधरी (1995) 1 एससीसी 170, में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 8 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:-

> "8. यह अच्छी तरह से तय है कि पुनरीक्षा कार्यवाही अपील के माध्यम से नहीं होती है और इसे आदेश 47, नियम 1, सी.पी.सी. के दायरे तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आदेशों की पुनरीक्षा करने की मांग करते समय उच्च न्यायालय को उपलब्ध समान क्षेत्राधिकार से निपटने के दौरान आदेश 47, नियम 1 के तहत न्यायालय की शक्तियों की सीमा के संबंध में, इस न्यायालय ने मामले में अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम अरिबम पिशाक शर्मा (1979) 4 एससीसी 389, में चिन्नप्पा रेड्डी, न्यायमूर्ति ने, निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियाँ की हैं: (एससीसी पृष्ठ 390, पैरा 3)
>
> > यह सच है कि संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को पुनरीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, जो अन्याय को रोकने या उसके द्वारा की गई गंभीर और स्पष्ट त्रुटियों को ठीक करने के लिए पूर्ण क्षेत्राधिकार के प्रत्येक न्यायालय में निहित है। लेकिन, पुनरीक्षा की शक्ति के प्रयोग की निश्चित सीमाएँ हैं। पुनरीक्षा की शक्ति का प्रयोग नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज पर किया जा सकता है, जो उचित परिश्रम के बाद पुनरीक्षा चाहने वाले व्यक्ति के ज्ञान में नहीं था या उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका जब आदेश दिया गया था। इसका प्रयोग वहां किया जा सकता है जहां रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से कोई गलती या त्रुटि पाई जाती है, इसे किसी समान आधार पर भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन, इसका प्रयोग इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि निर्णय गुण-दोष के आधार पर गलत था। पुनरीक्षा की शक्ति को अपीलीय शक्ति के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जो एक अपीलीय शक्ति को सक्षम कर सकती है जो एक अपीलीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सभी प्रकार की त्रुटियों को ठीक करने में सक्षम कर सकती है।

(9) यह भी स्थापित कानून है कि पुनरीक्षा क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, न्यायालय एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्यों की दोबारा नहीं देख सकता है, भले ही किसी मामले में दो दृष्टिकोण संभव हों। केरल सरकार विद्युत बोर्ड बनाम हाईटेक इलेक्ट्रोथर्मिक्स एंड हाइड्रोपावर लिमिटेड (2005) 6 एससीसी 651 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

> "10. ....**एक पुनरीक्षा याचिका में यह न्यायालय साक्ष्यों की फिर से सराहना करने और एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए खुला नहीं है, भले ही यह संभव हो**। बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने हमें यह समझाने की कोशिश की कि पक्षों के बीच हुआ पत्राचार इस न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता है। हमें डर है कि इस तरह के अनुरोध को पुनरीक्षा याचिका में आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। **रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना पूरी तरह से अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। यदि प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की सराहना करने पर, न्यायालय तथ्य की खोज को दर्ज करती है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है, तो उस निष्कर्ष पर पुनरीक्षा याचिका में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता कि रिकॉर्ड पर या किसी कारण से तत्संबंधी स्पष्ट त्रुटि है** हमारे समक्ष यह तर्क नहीं दिया गया है कि रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से कोई त्रुटि है। **पुनरीक्षा याचिकाकर्ता को साक्ष्यों की सराहना के सवाल पर बहस करने की अनुमति देना एक पुनरीक्षा याचिका को छद्म अपील में परिवर्तित करने जैसा होगा।"**

(10) कमलेश वर्मा बनाम मायावती (2013) 8 एससीसी 337 में पुनरीक्षा क्षेत्राधिकार पर निर्णयों की एक श्रृंखला पर चर्चा करने के बाद, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पाया कि पुनरीक्षा कार्यवाही को आदेश XLVII नियम 1 के दायरे और दायरे तक सख्ती से सीमित किया जाना चाहिए। सीपीसी. जब तक पुनरीक्षा आवेदन में उठाए जाने वाले मुद्दे पर पहले ही विचार किया जा चुका है और उसका उत्तर दे दिया गया है, तब तक पार्टियां विवादित निर्णय को केवल इसलिए चुनौती देने की पात्र नहीं हैं क्योंकि एक वैकल्पिक दृष्टिकोण संभव है। पुनरीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के सिद्धांतों को उपरोक्त मामले में संक्षेप में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था:

> "20. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, क़ानून द्वारा निर्धारित पुनरीक्षा के निम्नलिखित आधार बनाए रखने योग्य हैं:
>
> 20.1. पुनरीक्षा कब सुधारणीय होगी:
>
> (i) नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज, जो उचित परिश्रम के बाद, याचिकाकर्ता के ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका;
>
> (ii) रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली गलती या गलती;
>
> (iii) कोई अन्य पर्याप्त कारण।
>
> शब्द "कोई अन्य पर्याप्त कारण" की व्याख्या छज्जू राम बनाम नेकी एआईआर 1922 पीसी 112 में की गई है, और इस न्यायालय द्वारा मोरन मार बैसिलियोस कैथोलिकोस बनाम मोस्ट रेव. मार पॉलोज़ अथानासियस 1955 एससीआर 520 में इसका अर्थ "पर्याप्त कारण" के रूप में अनुमोदित किया गया है। कम से कम नियम में निर्दिष्ट आधारों

के अनुरूप आधार"। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम संदुर मैंगनीज एंड आयरन ओरेस लिमिटेड (2013) 8 एससीसी 337 में भी इन्हीं सिद्धांतों को दोहराया गया है।

20.2. पुनरीक्षा कब धारणीय नहीं होगी:-

(i) पुराने और खारिज किए गए तर्क की पुनरावृत्ति निष्कर्ष निकाले गए निर्णयों को फिर से खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ii) अप्रासंगिक आयात की छोटी गलतियाँ।

(iii) पुनरीक्षा कार्यवाही की तुलना मामले की मूल सुनवाई से नहीं की जा सकती।

(iv) पुनरीक्षा तब तक कायम रखने योग्य नहीं है जब तक कि आदेश में स्पष्ट रूप से प्रकट हुई भौतिक त्रुटि इसकी सुदृढ़ता को कमजोर न कर दे या इसके परिणामस्वरूप न्याय की हानि न हो जाए।

(v) पुनरीक्षा किसी भी तरह से छिपी हुई अपील नहीं है जिसके तहत एक गलत निर्णय को दोबारा सुना जाता है और सही किया जाता है, लेकिन यह केवल पेटेंट त्रुटि के लिए होता है।

(vi) विषय पर दो विचारों की संभावना मात्र पुनरीक्षा का आधार नहीं हो सकती।

(vii) रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली त्रुटि ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए जिसे बाहर निकालना और खोजना पड़े।

(viii) रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना पूरी तरह से अपीलीय न्यायालय के क्षेत्र में है, इसे पुनरीक्षा याचिका में आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(ix) जब मुख्य मामले पर बहस के समय मांगी गई वही राहत खारिज कर दी गई हो तो पुनरीक्षा कायम नहीं रह सकती।"

(11) राम साहू (मृत), विधिक उत्तराधिकारी बनाम विनोद कुमार रावत 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 896 में, पिछले निर्णयों का हवाला देते हुए और आदेश XLVII नियम 1 के साथ पढ़ी गई धारा 114 के दायरे पर व्याख्या करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने देखा है धारा 114 सीपीसी पुनरीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं रखती है; और न ही यह धारा न्यायालय को किसी निर्णय की पुनरीक्षा करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने से रोकती है। हालाँकि, न्यायालय द्वारा किसी आदेश की पुनरीक्षा केवल आदेश XLVII नियम 1 CPC में निर्धारित आधार पर की जा सकती है। उक्त शक्ति का प्रयोग अंतर्निहित शक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता है और न ही पुनरीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने की आड़ में अपीलीय शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

(12) जैसा कि कानून की उपरोक्त व्याख्या से देखा जा सकता है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई न्यायिक घोषणाओं में यह लगातार माना गया है कि न्यायालय का पुनरीक्षा का क्षेत्राधिकार, अपील के समान नहीं है। यदि रिकॉर्ड में कोई गलती या त्रुटि स्पष्ट है तो निर्णय की पुनरीक्षा की जा सकती है, लेकिन जिस त्रुटि का पता तर्क की प्रक्रिया द्वारा लगाया जाना है, उसे रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय के लिए आदेश XLVII नियम 1 सीपीसी के तहत पुनरीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करना है। पुनरीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करने की आड़ में, न्यायालय किसी गलती को सुधार सकता है, लेकिन पहले अपनाए गए दृष्टिकोण को केवल इसलिए प्रतिस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि किसी मामले में दो विचार लेने की संभावना है। एक निर्णय तब पुनरीक्षा के लिए भी खुला हो सकता है जब निर्णय पारित होने के बाद साक्ष्य का कोई नया या महत्वपूर्ण मामला सामने आया हो, बशर्ते कि ऐसा साक्ष्य पुनरीक्षा चाहने वाले पक्ष की जानकारी में न हो या उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उचित परिश्रम करने के बावजूद यह आदेश दिया गया। रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि की तुलना में गलत निर्णय के बीच स्पष्ट अंतर होता है। एक ग़लत निर्णय को बड़े न्यायालय द्वारा ठीक किया जा सकता है, हालाँकि रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि को केवल पुनरीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके ही ठीक किया जा सकता है।

(13) याचिकाकर्ता आरएसआरटीसी द्वारा उठाया गया एकमात्र नया आधार यह है कि प्रत्यर्थी को सीपीएफ राशि की अंतिम राशि अर्थात रुपए 8,31,722/- है, इसलिए प्रत्यर्थी जीपीएफ योजना के तहत पेंशन पाने का पात्र नहीं है। रिट याचिका के निपटारे के समय अन्य तर्कों पर पहले ही विचार किया जा चुका है और उन्हें ध्यान में रखा गया है।

(14) ऐसा प्रतीत होता है कि रुपए 8,31,722/- की राशि प्रत्यर्थी की सेवानिवृत्ति के समय बिना किसी सूचना के या ऐसे भुगतान की प्रकृति के बारे में याचिकाकर्ता को कोई पत्र भेजे बिना सीधे उसके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए गए थे। प्रत्यर्थी इस सीपीएफ राशि को याचिकाकर्ता आरएसआरटीसी को वापस करने के लिए तैयार है।

(15) याचिकाकर्ता आरएसआरटीसी दिनांक 1.12.2021 के आदेश की पुनरीक्षा का कोई मामला बनाने में विफल रहा है। इस न्यायालय को आदेश की पुनरीक्षा करने के रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं मिली। दिनांक 1.12.2021 के आदेश को वापस लेने का कोई मामला नहीं बनता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया, वे इस

मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं।

(16) उपरोक्त चर्चा के आलोक में और प्रत्यर्थी के अधिवक्ता के बयान पर विचार करते हुए, प्रत्यर्थी को रुपये 8,31,722/- आज से तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ता आरएसआरटीसी को 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ की राशि वापस करने का निर्देश दिया जाता है।

(17) उपरोक्त के साथ, स्थगन आवेदन के साथ पुनरीक्षा याचिका का निपटारा किया जाता है।

(अनूप कुमार ढंड) न्यायमूर्ति

.db/-

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।
अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।